

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.12.2025

थाना चकिया जनपद चन्दौली

- ◆ थाना चकिया पुलिस द्वारा 01 मोटरसाइकिल से परिवहन किये जा रहे 16.200 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ दो अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- ◆ बरामद अवैध गाँजे के अनुमानित कीमत लगभग 4.00 लाख रुपये।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगे द्वारा गाँजा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया, रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान दिनांक 08.12.2025 को समय 20.10 बजे गांधीनगर से अभियुक्त 1.अशोक कुमार यादव पुत्र पारस यादव नि० सेमरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार 2. अवधेश राम पुत्र चिरौजी राम नि० सेमरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 16.200 कि०ग्रा० नाजायज गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 256/25 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीन लोगो का संगठित गिरोह है। हम तीनों लोग बराबर-बराबर पैसा लगाकर अपने गांव सेमरा बिहार से गांजा खरीद कर 30प्र० मे लाकर बिक्री करते है । दिनांक 08.12.2025 को हम लोग बाईक से एक बोरी मे गांजा पैक करके बेचने हेतु वाराणसी ले जा रहे थे जहां पर गांजा को ऊंचे दामो पर बेचते तथा जो भी फायदा होता उसे हम तीनों आपस मे बराबर बराबर बाट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व गिरफ्तारी का स्थान-

- 1-अशोक कुमार यादव पुत्र पारस यादव नि० सेमरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार
 - 2-अवधेश राम पुत्र चिरौजी राम नि० सेमरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार
- गांधीनगर थाना चकिया जनपद चन्दौली से गिरफ्तार किया गया।

अभि० अशोक कुमार यादव का अपराधिक विवरण-

1. मु.अ.सं. 256/25 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

अभि० अवधेश राम का अपराधिक विवरण-

- 1.मु.अ.सं. 256/25 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।

(अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।)

बरामदगी का विवरण –

1-16.200 कि.ग्रा. अवैध गांजा

2-एक मोटरसाइकिल रजि.नं UP64BB2923

3-दो मोबाइल एंड्रॉयड सेट (विवो)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

3.हे0का0 संदीप अत्री थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

4.हे0का0 राकेश सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

5.हे0का0 सूरज कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

6.का0 रविन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली ।

7.का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली ।